विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (i) नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा (ii) शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन और एक विषयक परिच्छेद तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 21 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों का निर्माण

"नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़कों के निर्माण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना, वित्त, निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण/ निगरानी के मामलों को समाविष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में आयोजना, निधि प्रबन्धन तथा संविदा प्रबन्धन सहित परियोजना के निष्पादन में कमियां ध्यान में आईं। परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण भी निष्प्रभावी था। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे दिया गया है:

- नाबार्ड के अर्न्तगत परियोजनाओं की प्राथमिकता हेतु लोक निर्माण एवं योजना विभाग ने विधायकों को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई तथा परियोजनाओं का चयन अपेक्षित अड़चनों, समन्वित दृष्टिकोण और परियोजनाओं के व्यापक विश्लेषण किए बिना किया गया।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

- 2013-18 के दौरान संस्वीकृत 106 परियोजनाओं में, विधायकों द्वारा विपदग्रस्त क्षेत्रों के लिए संस्तुत 65 परियोजनाओं के प्रति किसी भी परियोजना को संस्वीकृत नहीं किया गया था, तथापि पहले ही सड़कों से जुड़े गांवों के लिए सड़कों की मंजूरी दी गई थी।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

- तीन नमूना जांचित मण्डलों ने ₹ 7.76 करोड़ की लागत से पांच परियोजनाओं को ब्लैक टॉप प्रावधान के बिना निष्पादित किया गया जैसा कि नाबार्ड के दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था, जिससे जनता सर्व मौसम सड़क सम्पर्क से वंचित रही।

(परिच्छेद 2.1.6.5)

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रतिफल की आंतरिक दर/ प्रतिफल की आर्थिक दर की गणना तथा लाभ लागत अनुपात विश्वसनीय डाटा पर आधारित नहीं थी।

(परिच्छेद 2.1.6.7)

- नमूना-जांचित नौ मण्डलों में नाबार्ड परियोजनाओं के प्रति समेकित निधि से ₹ 10.71 करोड़ अनियमित रूप से आहरित किए गए जो कि निक्षेप शीर्ष में 10 से 82 माह तक अव्ययित पड़े रहे। संस्वीकृत परियोजनाओं हेतु ऋण के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रति 2013-18 के दौरान नाबार्ड से ₹ 57.73 करोड़ का कम दावा किया गया।

(परिच्छेद 2.1.7.1 एवं 2.1.10.1)

- निष्पादन प्रतिभूति को प्राप्त न करने, विलम्ब हेतु प्रतिपूर्ति का अनुद्ग्रहण/ वसूली न करना संविदा अनुबन्ध में निष्पादन प्रतिभूति का प्रावधान न करना तथा रॉयल्टी एवं उपयोगी पत्थरों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 119 अनुबंधों में ठेकेदारों को ₹ 10.94 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ/ पक्षपात किया गया।

(परिच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5)

- ₹ 859.26 करोड़ की संस्वीकृत 269 परियोजनाओं में से ₹ 393.79 करोड़ की संस्वीकृत लागत में 132 परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर निष्पादनार्थ लिया गया था। ₹ 135.07 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् चार वर्ष की नियत अवधि के भीतर केवल 65 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था।

(परिच्छेद 2.1.9.1)

- नमूना-जांचित 17 मण्डलों में, ₹ 414.67 करोड़ की संस्वीकृत 123 परियोजनाओं (269 में से) का कार्य ठेकेदारों को एक से 111 महीनों के विलम्ब के पश्चात् प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में और अधिक विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.1.9.3)

- नमूना-जांचित आठ मण्डलों में ₹ 49.00 करोड़ की लागत से निर्मित 33 सड़कों को सड़क फिटनैस समिति द्वारा वाहन यातायात हेतु पास नहीं किया गया जिससे इन सड़कों पर किया गया अधिकतर व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 2.1.9.8)

- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नमूना-जांचित मण्डल के अधिशाषी अभियंताओं ने 2013-18 के दौरान राज्य गुणवत्ता नियंत्रण विंग (32) एवं राज्य गुणवत्ता मोनिटर (102) द्वारा 28 परियोजनाओं में 134 निरीक्षणों में चिह्नित कमियों को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

(परिच्छेद 2.1.10.3)

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन

शहरी क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा, आयोजना व निर्देशन, निधि-उपयोग, संग्रहण, उपचार और सीवेज का सीवरेज और सैप्टिक टैंक प्रणाली से निपटान और निगरानी के पहलूओं के मूल्यांकन के लिए संचालित की गई। कुछ मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:

- आयोजना व निर्देशन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु रणनीति तैयार न करना, सीवरेज योजनाओं हेतु बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करना, अति दबावग्रस्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के उन्नयन के सम्बंध में सक्रिय कार्रवाई का अभाव, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों/ सैप्टिक टैंकों के अभिकल्प में कमियां तथा मल के निपटान पर नियंत्रण में अभाव सम्मिलित था।

(परिच्छेद 2.2.5)

- वित्तीय प्रबंधन की कमियों के अंतर्गत सीवरेज योजनाओं हेतु अपर्याप्त निधियन, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों को निधियों का 30 प्रतिशत जारी न करना तथा 43 प्रतिशत विलम्ब से जारी करना, नमूना-जांचित 16 मण्डलों में से 11 में 58 प्रतिशत निधियों की अप्रयुक्ति, नमूना-जांचित 15 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्त आयोग से प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति तथा उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह से सम्बंधित कमियां सम्मिलित थीं।

(परिच्छेद 2.2.6)

- नमूना-जांचित 25 सीवरेज योजनाओं में से 205 माह के विलम्ब के पश्चात् मात्र एक योजना पूर्ण हुई; 13 योजनाएं अपूर्ण रहीं (18 से 230 माह का विलम्ब) तथा 11 योजनाएं भू-अर्जन/ हस्तांतरण हेतु आयोजना के अभाव, सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए बाधारहित भूमि सुनिश्चित न करने; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब; तथा निधियों के अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं की गई थीं।

(परिच्छेद 2.2.7)

- घर/ प्रतिष्ठान सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े थे जिसके परिणामस्वरूप सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का कम उपयोग हुआ। तीन सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अधिक दबावग्रस्त होने के कारण प्रशोधन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा खराब गुणवत्ता की गंदे पानी की धारा में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.2.8 से 2.2.9.1)

- सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के निष्क्रिय घटकों तथा अभिकल्प की कमियां गंदे पानी की धारा की खराब गुणवत्ता में परिणत हुई जो सतही जल-निकायों में छोड़ी जा रही थी। सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की बड़ी संख्या प्रशोधित गंदे पानी की धारा की गुणवत्ता हेतु मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी। मल प्रशोधन अपर्याप्त था।

(परिच्छेद 2.2.9.2 से 2.2.9.4)

- सामुदायिक एवं घरेलू स्तर की सैप्टिक टैंक प्रणाली में गंदे पानी की धारा के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी तथा गंदे पानी की धारा जल-निकायों में बिना समुचित प्रशोधन के छोड़ी जा रही थी। निर्दिष्ट अवधि में टैंकों को मल रहित करने हेतु अथवा निपटान पूर्व मल-प्रशोधन हेतु कोई तंत्र नहीं था। समुचित प्रशोधन के बिना मल तथा गंदे पानी की धारा का निपटान करने का परिणाम जल-निकायों के दूषित होने एवं जल-जनित रोग फैलने के जोखिम के रूप में हुआ।

(परिच्छेद 2.2.10.1 एवं 2.2.10.2)

- विभाग, शहरी स्थानीय निकाय तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल स्तर पर निगरानी तंत्र कमजोर था।

(परिच्छेद 2.2.11)

अनुपालना लेखापरीक्षा

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर अनुत्पादक व्यय

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड (पशुपालन विभाग) द्वारा उपलब्ध दूध का वास्तविक निर्धारण न करने एवं परिकल्पित ग्राम डेयरी सहकारी समितियों का गठन/ कार्य न करने में विफलता के परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का न्यून उपयोग हुआ, जिससे ₹ 63.35 लाख का निवेश अधिकांशत: अनुत्पादक रहा तथा ₹ 1.40 करोड़ का परिचालन नुकसान हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन तटस्थता के लिए कार्यक्रम पर निरर्थक व्यय

कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हस्ताक्षरित समझौते में कमियां, कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण के साथ हुए समझौते के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विफलता, तथा विभाग द्वारा निगरानी में कमी के परिणामस्वरूप पर्यावरण आकलन, संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए समुदायों को जुटाने के अभिप्रेत कार्यक्रम उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हुई तथा ₹ 1.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.2)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं उपभोज्यों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, आपूर्ति तथा प्रयुक्ति

औषधियों एवं उपभोज्यों के खरीद हेतु मांग निर्धारण एवं इनका वितरण न तो वैज्ञानिक था और न ही व्यवस्थित था जिससे खरीद न करने, खरीद में विलम्ब तथा औषधियां उपलब्ध न होने के दृष्टान्त स्वास्थ्य संस्थानों में देखे गए तथा स्वास्थ्य संस्थानों को औषधियां जारी नहीं की गई, कम जारी की गईं, अधिक जारी की गई। औषधियों की अनियमित एवं बिना आवश्यकता खरीद के परिणामस्वरूप इनकी उपयोग की तिथि समाप्त हो गई। अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के परिणामस्वरूप रोगियों को घटिया औषधियां वितरित की गईं। सूची प्रबंधन प्रणाली के अभाव में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व्यवस्थित नहीं थी जिससे खरीद न करने तथा बिना आवश्यकता के खरीद के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप मदें अप्रयुक्त/ बेकार तथा अक्रियाशील रहीं। मदें तकनीकी स्टाफ की तैनाती न होने के कारण भी अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

(परिच्छेद 3.6)

निक्षेप कार्यों पर एजेंसी शुल्क का अधिक भुगतान

एजेंसी शुल्क के भुगतान को स्वीकृत दरों पर प्रतिबंधित करने में उद्योग विभाग की विफलता के कारण 2015-18 के दौरान ₹ 89.37 करोड़ के कुल निक्षेप कार्यों पर निगम को ₹ 2.13 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.7)

वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजना पर व्यर्थ निवेश

ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पहले पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के कारण आठ साल से अधिक समय तक परियोजना पूर्ण नहीं होने से लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 17.48 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ।

(परिच्छेद 3.9)

उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के आवर्धन पर निष्फल व्यय एवं हानि

दोषपूर्ण योजना एवं उठाऊ जलापूर्ति स्कीम के सुरक्षित संरेखण अभिकल्प में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के कारण अचानक आई बाढ़ में मेन बूस्टर और प्रथम स्तर की राइजिंग मेन के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 1.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरूपयोग

योजना विभाग द्वारा क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत निधियों के अंतर्गत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवंटित निधियों में से ₹ 2.93 करोड़ की निधियां स्कीम दिशा-निदेशों का उल्लंघन करके सरकारी आवासों एवं कार्यालय भवनों तथा धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्यों पर दुरूपयोग की गईं।

(परिच्छेद 3.13)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति (योजना विभाग)

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में उल्लंघन के मामले को उजागर करने के बावजूद पांच जिलों के उपायुक्तों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ की राशि की निधियां स्कीम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक पूजा स्थलों के 170 कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गईं।

(परिच्छेद 3.14)

आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली

सड़क के साथ आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु दूर-संचार कम्पनियों से देय राशि हेतु उचित दरें लागू करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.15)

सड़क निर्माण को पूर्ण न करने के कारण निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना एवं भौगोलिक/ स्थल हालातों के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने में लोक निर्माण विभाग की बारम्बार विफलता के कारण 14 वर्षों से अधिक समय तक सड़क को पूर्ण नहीं किया जा सका जिससे अभिप्रेत सड़क कनैक्टिविटी से सम्बद्ध लाभार्थी वंचित रहे तथा ₹ 17.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.16)

अस्वीकार्य कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन का परावर्तन तथा दुरूपयोग (राजस्व विभाग)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित रूप से उपयोग सुनिश्चित करने में राज्य कार्यकारी समिति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/ संकट से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय एवं आवासीय इमारतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए ₹ 2.19 करोड़ का राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से परावर्तन तथा दुरूपयोग किया गया जबकि प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ₹ 3.19 करोड़ के दावे लम्बित थे, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उद्देश्य विफल रहा।

(परिच्छेद 3.17)

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति अंशदान की अल्प वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का दुरूपयोग (राजस्व विभाग)

जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के विकासकर्ताओं से ₹ 6.14 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा उस पर ₹ 2.72 करोड़ के ब्याज की कम वसूली की गई थी जबकि अंतिम किश्त की देय तिथि से चार माह तथा 10 वर्षों के बीच की अवधि बीत चुकी थी। स्थानीय क्षेत्र विकास से गैर-सम्बंधित मदों पर ₹ 2.05 करोड़ राशि की निधि का दुरूपयोग हुआ।

(परिच्छेद 3.18)

ब्याज का परिहार्य भुगतान

सात भूमि मालिकों को ₹ 2.02 करोड़ का मुआवजा जारी करने में आठ वर्षों से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.19)

असुरक्षित स्थल पर बस स्टैंड के निर्माण पर परिहार्य हानि (परिवहन विभाग)

बाढ़ संभावित क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए प्राधिकरण के अनुचित निर्णय तथा बाढ़ के प्रभावों को समाप्त/ कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को अपनाने में प्राधिकरण की विफलता के कारण ₹ 5.25 करोड़ की परिहार्य हानि हुई तथा क्षतियों की बहाली पर ₹ 1.01 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.20)

बस अड्डे हेतु अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण निरर्थक व्यय (परिवहन विभाग)

प्रस्तावित बस अड्डे की आवश्यकता का आकलन तथा अभिकल्प को अंतिम रूप देने के साथ उपयुक्त स्थल के चयन में हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन तथा बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की आयोजना में कमी के कारण प्रारंभिक कार्यों पर किया गया ₹ 93.61 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

(परिच्छेद 3.21)